

RTI MATTER

No.12015/5/2014-K.IV
Government of India
Ministry of Home Affairs

North Block, New Delhi - 110001

Dated 26 June, 2014

To

Shri Rajendra Singh Raja,
D-1/514,
Nand Nagari,
Delhi - 110 093.

Subject: Information sought under the Right to Information Act, 2005.

I am directed to refer to your application dated 16.05.2014 received in this Section on 25.06.2014 vide OM No.13012/20/2014-K.VI dated 18.06.2014 seeking information on point no. 13 & 15-17. In this context, it is stated that the required information is not available with the undersigned. The application is forwarded to Director (K-III) with a request to furnish reply directly to applicant.

2. Shri R.K. Srivastava, Joint Secretary (Kashmir), MHA, North Block, New Delhi is the Appellate Authority in the matter.

Yours faithfully,



(Dr. Sanjay Roy)
Director (Media) & CPIO
Telefax: 2309 3329

Copy to:

1. Shri S.C. Karol, Director (K-III) MHA, J&K Division, North Block, New Delhi.
2. Shri R.P. Meena, Dy. Secretary (K-II) & CPIO, MHA, New Delhi, w.r.t. their OM No.13012/20/2014-K.VI dated 18.06.2014.

✓ 3. SO (IT), MHA for necessary action.

दिनांक : 16/05/2005
65/82

नीमान् पी. आई. ओ / प्रमुखता अधिकारी की

गृह 2707/1/1/1, भारत सरकार
नॉर्थ वेस्ट एम्प्लॉय नई दिल्ली - 110001

विषय : आर. टी. आई एक्ट 2005 के तहत आवेदन पत्र।

मान्यवर / महोदया,

मुझे नीचे लिखी सूचनाएँ आर. टी. आई. एक्ट के तहत देने का कष्ट करें। देय शुल्क रुपये 10 का आई. पी. ओ. नम्बर S.I.F. 27.6.6.6.1 इस आवेदन के साथ संलग्न है। संबंधित अधिकारी / लेखाधिकारी / प्रभारी कोषागार के नाम भरकर वसूले तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम, पद, पता भी सूचना के साथ देने की कृपा करें।

नोट : जो सूचना आपके पास उपलब्ध न हो, वह सूचनाएँ आर. टी. आई. एक्ट की धारा 6 (3) के तहत यह आवेदन सम्बन्धित सूचना अधिकारी को दांसफर कर दिलाने की कृपा करें।

- 1) मैंने एक पत्र दि. 20/11/11 को SPEED TEST द्वारा गृहमंत्राली की वेब-साइट पर भेजा था, प्रति संलग्न है, किन्तु इस पत्र पर गृहमंत्रालय द्वारा की गई कार्यवाहियों की सम्बन्ध सूचनाएँ दे ? यदि यह पत्र अन्य सम्बन्धित विभाग / अधिकारी को जांचाई भेजा है तो यह पत्र उन्हें ट्रांसफर कर संबंधित विभागों को जांचाई भेजा जाये कार्यवाहियों की सूचनाएँ दे / दिलाने ?
- 2) अवैध रूप से दिल्ली में रह रहे बंगालदेशियों को हटाने सम्बन्धित के लिये दि. 20/11/13 से आज तक गृहमंत्रालय ने क्या कार्यवाहियाँ की है सूचना दे ?
- 3) दि. 20/11/13 से आज तक गृहमंत्रालय के रिकॉर्डनुसार कुल कितने अवैध रूप से भारत में रह रहे बंगालदेशियों को गिरफ्तार कर जेलों में भेजा गया है, और कितनों को कामसे डिमिशन किया गया है, और कितने जेलों में बन्द हैं ? कुल कितने राजपुत्रों पर यह सूचनाएँ दे / दिलाने ? सभी राज्यों की जांचलसूचनाएँ दे ?
- 4) अवैध रूप से भारत में रह रहे बंगालदेशियों के सहायता, आदि कार्ड, पहचान पत्र, वोटर आई कार्ड, राजपुत्र कार्ड साठ-ठाठ कर बना रही हैं या यह बंगालदेशी बनवा रहे हैं इस जांचल गृहमंत्रालय ने क्या-क्या कार्यवाहियाँ की है सूचना दे ?
- 5) दिल्ली के जिले-2 क्षेत्र में अवैध रूप से बंगालदेशी आकर रहे हैं क्या इन क्षेत्रों की पहचान को बनाये रखने के लिये क्या...

HT / 05/05/05

Diu (Foreign)
2-2

12) गृह मंत्रालय के रिपोर्ट अनुसार गृह विभाग एकमात्र है जो स्वतंत्र कौन्सिल सुरक्षासमिति रखती है कृष्ण कितने सुरक्षासमितियाँ हैनाम होते हैं एक सभ्य में, और आसिक सुरा कितना रखती होता है

13) गृह मंत्रालय है जारी सभ्यता दिशा-निर्देश व निमज्ज जम्बुकायम प्रालिस सुरक्षासमिति व अधिकारी जो मर, जैत प्रशासन कर सामू होते जम्बू-कश्मीर सरकार व प्रशासनिक समन्वित अधिकारी इन बाँटे को आवते है या नहीं सूचना दे ?

14) गृह मंत्रालय के तहत कौन-कौ से मिथ्या होते है / कार्य करते सभी के नाम बताये ?

15) गृह मंत्रालय को मर जावकारी है कि जम्बू-कश्मीर राज्य व पाला खयवा सोमिधाव व ~~कश्मीर~~ राज्य है ?

16) गृह मंत्रालय के अनुसार क्या जम्बू-कश्मीर राज्य में पाला सोमिधाव जावकारी है या नहीं है ? तथा पाला सोमिधाव का नाम (क.स.स.स.) लाव है या नहीं सूचना दे ?

17) गृह मंत्रालय के अनुसार जम्बू कश्मीर भारत का हिस्सा / है ? और इस राज्य में भारतीय सोमिधाव व कावू व लाव है या नहीं ?

धन्यवाद साहब,

पत्रा संख्या :-

राजन्दारसिंह राठ

D-1/514, नन्दवग

दिल्ली-110093

फोन- 0811371